

'सी' श्रेणी पंजीकरण

शासनादेश संख्या 3460/23-7-08-41एम.एस.ए./54टी.सी.-III दिनांक 28-07-2008 एवं शासनादेश संख्या 2466/92-1-2018-65एम/2014 दिनांक 30-07-2018 एवं ठेकेदारों के पंजीकरण एवं वर्गीकरण नियमावली 1982 के अधीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के सत्यापन तथा उनके पत्र संख्या 929 दिनांक 19.08.2019 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर ठेकेदार मै० नौशाद अली (प्रोपराईटर श्री नौशाद अली) नि० ग्राम दलपतपुर, पोस्ट-वीरपुर, थाना मूण्डापाण्डे, जिला-मुरादाबाद, जोकि स्वयं सिविल डिप्लोमा होल्डर हैं का इस परिमण्डल के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के ठेके हेतु श्रेणी "सी" में क्रमांक 358 पर पंजीकृत किया जाता है। यह पंजीकरण दिनांक **30-06-2022** तक के लिये मान्य होगा, तदोपरांत स्वतः समाप्त माना जायेगा। नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के 02 माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कोटि:-मार्ग एवं भवन निर्माण

धरोहर राशि रू०- 50,000-00

पेन नं०- AGBPA8513D

जी०एस०टी० नं०- 09AGBPA8513DIZW

२९/०९/१९

(राम चन्द्र)

अधीक्षण अभियन्ता
काशी २९/०९/१९

कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मुरादाबाद परिमण्डल मुरादाबाद

पत्रांक १२५/झा०-६४ (358)/ग्रा०अ०वि०/२०१९-२० दिनांक ०९/०९/१९

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मै० नौशाद अली (प्रोपराईटर श्री नौशाद अली) नि० ग्राम दलपतपुर, पोस्ट-वीरपुर, थाना मूण्डापाण्डे, जिला-मुरादाबाद को उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि यदि उक्त पंजीकरण की वैधता अवधि से पूर्व आपके हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको उक्त प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीन हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। यदि आपके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो उक्त स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को आपके पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड मुरादाबाद/ रामपुर/बिजनौर/अमरोहा/सम्भल तदानुसार अनुपालन एवं अभिलेखार्थ प्रेषित।



२९/०९/१९

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल मुरादाबाद।

काशी २९/०९/१९